

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 141 No. 14]

नई दिल्ली, अप्रैल 19—अप्रैल 25, 2009, शनिवार /चैत्र 29—वैशाख 5, 1931

NEW DELHI, APRIL 19—APRIL 25, 2009, SATURDAY/CHAITRA 29—VAISAKHA 5, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authority (other than the **Administrations of Union Territories)**

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2009

•सा.का.नि. 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात्:— केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री जेकब बेन्जमिन कोशि, जिन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने मूल संवर्ग अर्थात् केरल उच्च न्यायालय से बाहर रहने की सेवाविध तक, अपने वेतन के अतिरिक्त, मासिक मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से प्रतिपूरक भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. के. 11017/9/2008-यूएस-i/II]

एस. ट्डक्ले, उप सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 9th April, 2009

G.S. R. 46.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the

following order namely:

That Shri Justice Jacob Benjamin Koshy, Judge of the Kerala High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Patna High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of 10 % of the basic pay per month, for the period of his service when he performs his duties outside his parent High Court, i.e. Kerala High Court.

[No. K. 11017/9/2008-US-I/II]

S. TWICKLY, Dy. Secy. .

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 47.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात्:— कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायिवद् श्री समिंदर रुद्रय्या बन्नुरमठ, जिन्हें केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने मूल संवर्ग अर्थात् कर्नाटक उच्च न्यायालय से बाहर रहने की सेवाविध तक, अपने वेतन के अतिरिक्त, मासिक मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से प्रतिपूरक भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. के. 11017/9/2008-यूएस-1/11]

एस. टुइक्ले, उप सचिव

New Delhi, the 9th April, 2009

G.S. R. 47.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

That Shri Justice Samindar Rudrayya Bannurmath, Judge of the Karnataka High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Kerala High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of 10 % of the basic pay per month, for the period of his service when he performs his duties outside his parent High Court, i.e. Karnataka High court.

[No. K. 11017/9/2008-US-I/II]

S. TWICKLY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 48.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्निलिखित आदेश देते हैं, अर्थात्:— पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायिवद् श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने मूल संवर्ग अर्थात् पटना उच्च न्यायालय से बाहर रहने की सेवाविध तक, अपने वेतन के अतिरिक्त, मासिक मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से प्रतिपूरक भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. कं. 11017/9/2008-यूएस-I/II]

एस. दुइक्ले, उप सचिव

New Delhi, the 9th April, 2009

G.S. R. 48.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

That Shri Justice Chandramauli Kumar Prasad, Judge of the Patna High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of 10 % of the basic pay per month, for the period of his service when he performs his duties outside his parent High Court, i.e. Patna High court.

[No. K. 11017/9/2008-US-I/II]

S. TWICKLY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात्:—
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायिवद् श्री आफताब हुसैन शहकीया, जिन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
नियुक्त किया गया है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने मूल संवर्ग अर्थात् गुवाहाटी उच्च न्यायालय से बाहर रहने की सेवाविध तक, अपने वेतन
के अतिरिक्त, मासिक मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से प्रतिपूरक भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. के. 11017/9/2008-यूएस-I/II]

एस. टुइक्ले, उप सचिव

New Delhi, the 9th April, 2009

G.S. R. 49.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President herby makes the following order namely:

That Shri Justice Aftab Hussain Saikia, Judge of the Gauhati High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Sikkim High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of 10 % of the basic pay per month, for the period of his service when he performs his duties outside his parent High Court, i.e. Gauhati High court.

[No. K. 11017/9/2008-US-I/II]

S. TWICKLY, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

('भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के महारजिस्ट्रार एवं पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय (संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य) भर्ती नियम, 1985 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .-(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2009 होगा।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान .—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि. उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.- वह व्यक्ति:-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पर पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिवत.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्गों, के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद अथवा अचयन पद है	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य	9*(2009) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	12000- 375- 16500 ₹.	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधे भर्ती किए व्यक्तियों के लि शैक्षिक और अ	ए अपेक्षित	विहित	वीधे भर्ती कि 1 आयु और १ गू होंगी	ए जाने वाले व रौक्षिक अर्हता	व्यक्तियों के लिए एं प्रोन्नित की दशा	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)				(9)		(10)
लागू नही	f		7	नागू नहीं		लागू नहीं
						

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्तित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा

(12)

प्रोनति :

ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित 10000-15200 रुपए के वेतनमान में उप-निदेशक, जनगणना कार्य।

ऐसे मामले में जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नित पर विचार किया जाता है जिन्होंने अर्हक या पात्रता सेवा को पूरा कर लिया है, तो उनसे विरष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से ज्यादा या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नित के लिए उन्होंने अपने किनष्ठों जो ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके हों सिहत अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में, नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, अथवा
- (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में, 10000-15200 रु. या समकक्ष वेतनमान में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; या
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-

अनिवार्य :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या आपरेशन रिसर्च या गणित (सांख्यिकी सिहत) या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सिहत) या वाणिज्य (सांख्यिकी सिहत) या नृविज्ञान या समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष;
- (ii) सांख्यिकीय आंकड़े संग्रहण में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से तीन वर्ष का अनुभव योजना, संगठन और जनगणना अथवा सर्वेक्षण करने, सांख्यिकीय आंकड़ों का सारणीकरण और प्रसार में होना चाहिए। वांछनीय:
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या आपरेशन रिसर्च या गणित (सांख्यिकी सिहत) या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सिहत) या वाणिज्य (सांख्यिकी सिहत) या नृविज्ञान या समाजशास्त्र में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष;
- (ii) प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों में तीन वर्ष का अनुभव। फीडर वर्ग में विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पहले धारित किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति की अविध सहित प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या	भर्ती करते समय किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
(13)		(14)	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार के लिए): 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य	-अध्यक्ष	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	
2. भारत के महारजिस्ट्रार	–सदस्य		
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय	–सदस्य		
	-	[फा. सं. ए16011/10/2004-प्रशा. 1]	

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 17th April, 2009

- G.S.R. 50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Office of the Registrar General, India and Ex-Officio Census Commissioner for India (Joint Director of Census Operations) Recruitment, Rules, 1985, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director of Census Operations, in the Office of the Registrar General, India, and in the Offices of the Director of Census Operations in the States and the Union Territories, namely :-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, and the offices of the Director of Census Operations in the States and the Union Territories, Joint Director of Census Operations Group 'A' Post Recruitment Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification .	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Joint Director of Census Operations	9* *(2009) subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 12000- 375-16500	Selection	Not applicable	

1393 GI/09-2

Statistics) or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) or Anthropology or Sociology of a recognised

University or equivalent;

164 THE GA		KHA 5, 1931 [PART II—SEC. 3(i)]
Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promo- tion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)	(12)
Not applicable	Promotion failing which by deputation.	Promotion: Deputy Director of Census Operations in the pay scale of Rs. 10000-15200 with five years' regular service in the grade. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for appointment, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
		Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories:—
		(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department or
		(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200 or equivalent in the parent cadre or department; and
		(b) possessing the following educationa qualifications and experience:
		Essential:
		(i) Master's Degree in Statistics o Operation Research or mathematics (with Statistics) or Fearnming (with Statistics

(12)

(ii) Ten years' experience in Statistical Data Collection out of which three years should be in Planning, Organization and conduct of Census or Surveys, Tabulation and Dissemination of Statistical data.

Desirable:

- (i) Second Class Master's Degree in Statistics or Operation Research or Mathematics (with Statistics) or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) or Anthropology or Sociology of a recognized University or Equivalent.
- (ii) Three years' experience in Administration, Establishment and Accounts matters.

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding the appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Circumstances in which Union Public If a Department Promotion Committee exists, what is its Service Commission is to be Consulted composition. in making recruitment. (14)(13)Consultation with Union Public Service Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Commission necessary while appointing promotion):an officer on deputation. 1. Chairman or Member, Union Public Service -Chairman Commission -Member 2. Registrar General, India 3. Joint Secretary (Administration), Ministry ---Member of Home Affairs.

[F. No. A-16011/10/2004-Ad-.II] D. S. SAINI, Under Secy.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 51.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 844 तारीख 26 जून, 1975, सा.का.नि. 801 तारीख तारीख 21 जून, 1984 तथा सा.का.नि. 415 तारीख 4 मई, 1987 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (समूह 'ग'पद) भर्ती नियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
					30 के अधीन अनुंज्ञेय है या नहीं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. कांस्टेबल	25* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग',	वेतन बैंड-I 5200-20200 रु. श्रेणी वेतन-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	जा संकता है । #कार्य चालन संबंधी आवश्यकताओं पर	अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2000 ফ.			
•	निर्भर करते हुए भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है ।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लाग् नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बलों, रेल संरक्षण बल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के पुलिस कार्मिकों से 17 पद (ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वन/वन्यजी़व कार्मिकों से 8 पद।

(12)

- (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी:
- (i) जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, वन्यजीव विभागों, पुलिस बलों, रेल संरक्षण बल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेट या समतुल्य ।
- (2) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 53 वर्ष होगी।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना परामर्श किया जाएगा (14)(13)लागू नहीं होता लागू नहीं होता (7) (5) \cdot (6)(3)(4) (2) (1)लागू नहीं होता लागू नहीं होता वेतन बैंड-1 अचयन 2. उच्च श्रेणी साधारण 8*(2009) 5200-20,200 लिपिक *कार्यभार केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', श्रेणी वेतन के आधार पर परिवर्तन अराजपत्रित, 2400 হ. अननुसचिवीय । किया जा सकता है । (10)(9)(8)2 वर्ष लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

(11)

100% प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (12)

प्रोन्नित : ब्यूरो के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:

- (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुए है; या
- (ii) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक या इसके समतुल्य जिन्होंने मूल काडर या विभाग के 1900 रु. श्रेणी वेतन वाले वेतन बैंड-I-5200-20,200 रु. या समतुल्य में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अविध, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष होगी।

के लिए विहित की गई है।)

			ঞ্চ	धकतम आयु-सीमा	56 वर्ष होगी ।		
	(13)					(14)	
1. कार्यालय				–अध्यक्ष		लागू नहीं होता	
	अपराध नियंत्रण ब्य् एवं वन मंत्रालय से			–सदस्य –सदस्य		- Andrew Control of the Control of t	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
3. अवर श्रेणी लिपिक	8*(2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपित्रत,	वेतन बैंड-I 5200- 20,200 रु. श्रेणी वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वा पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार	, अनुदेशों या
	जा सकता है)।	अनुसचिवीय	1900 চ.			के लिए साधारण अध् में शिथिल करके 4 अनुसूचित जातियों अ जनजातियों के अध्या में शिथिल करके 4 जा सकती है।)	यर्थियों की दशा () वर्ष तक और गौर अनुसूचित र्थेयों की दशा
						टिप्पण: आयु-सीमा के लिए निर्णायक त अध्यर्थियों से आवेदन लिए नियत की गई होगी। (न कि वह जो असम, मेघाल प्रदेश, मिजोरम, मणि त्रिपुरा, सिक्किम, जम के लद्दाख खंड, हि लाहोल और स्पीति वि	गरीख भारत में ज प्राप्त करने के अंतिम तारीख अंतिम तारीख य, अरुणाचल गपुर, नागालैण्ड, मू-कश्मीर राज्य माचल प्रदेश के जले तथा चम्बा
						जिले के पांगी उपखं निकोबार द्वीप या लक्षा	

(-/-

(9)

(10)

आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।

(8)

लागू नहीं होता

2 वर्ष

- 2. टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति परन्तु :
 - (क) टंकण में उक्त अर्हता न रखने वाला व्यक्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि उस श्रेणी में अर्द्ध-स्थायी के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए या पुष्टि के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त नहीं कर लेता है।
 - (ख) शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त व्यक्ति जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है परन्तु टंकण में उक्त अर्हता नहीं रखता है इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संबद्ध चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा बोर्ड नहीं है, वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित कर देता है कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति टाइप करने में समर्थ होने के लिए उपयुक्त अवस्था में नहीं है।

(11)

(12)

50% प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के नियमित आधार पर पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 1900 रु. के श्रेणी वेतन वाले वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष होगी।

सीधी भर्ती: 90 प्रतिशत रिक्तयां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी और 10 प्रतिशत रिक्तियां उक्त कार्यालय में कार्यरत उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से, जो मैट्रिकुलेशन हैं या जिनके पास समतुल्य अर्हता है और चतुर्थ श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है, विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा भरी जाएंगी, परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए 50 वर्ष) यदि इस पद्धित द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या किसी वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी और न भरी गई रिक्तियां अगले वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएंगी।

(14)

1. कार्यालय प्रधान — अध्यक्ष लागू नहीं होता ।

2. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का एक सहायक निदेशक — सदस्य

3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबद्ध अवर सचिव — सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. आशुलिपिक	4*(2009)	साधारण	वेतन बैंड-I	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष :
श्रेणी-3	*(कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा,	5200-			(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-सम
	आधार पर	समूह 'ग',	20,200 চ.			पर जारी किए गए अनुदेशों य
	परिवर्तन किया	अराजपित्रत,	श्रेणी वेतन			आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक
	जा सकता है)।	अनुसचिवीय।	2400 रु.।			के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दश
						में शिथिल करके 40 वर्ष तक औ
			,			अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचि
						जनजातियों के अभ्यर्थियों की दश
						में शिथिल करके 45 वर्ष तक क
						जा सकती है।)
	•				-	टिप्पण : आयु–सीमा अवधारित कर
						के लिए निर्णायक तारीख भारत
						अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने व
						लिए नियत की गई अंतिम तारी ए
		•				होगी। (न कि वह अंतिम तारीख
			•			जो असम, मेघालय, अरुणाचल
						प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड
						त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज् के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश व
		•				क लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश व लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्ब
						जिले के पांगी उपखंड, अंदमान औ
						निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अंभ्यर्थि
						111111111111111111111111111111111111111
						के लिए विहित की गई है।)
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			के लिए विहित की गई है ।)
	(8)			(9)	के लिए विहित की गई है।)
।. किंसी मान्यत्	्र तप्राप्त बोर्ड या विश्व		ट्रेकुलेशन या स	मतुल्य।	(9) लागू नहीं होता	
2. अंग्रेजी आशु	तृप्राप्त बोर्ड या विश्व वृतिपि में 80 शब्द प्र	विद्यालय से मैर्। प्रति मिनट और व				(10)
. अंग्रेजी आशु	तप्राप्त बोर्ड या विश्व	विद्यालय से मैर्। प्रति मिनट और व				(10)
. अंग्रेजी आशु	तृप्राप्त बोर्ड या विश्व वृतिपि में 80 शब्द प्र	विद्यालय से मैर्। प्रति मिनट और व				(10)
. अंग्रेजी आशु	तृप्राप्त बोर्ड या विश्व वृतिपि में 80 शब्द प्र	विद्यालय से मैर्। प्रति मिनट और व				(10)
2. अंग्रेजी आशु	तृप्राप्त बोर्ड या विश्व लिपि में 80 शब्द उ ही न्यूनतम गति होन	विद्यालय से मैर्। प्रति मिनट और व				(10)
2. अंग्रेजी आशु प्रति मिनट व	तुप्राप्त बोर्ड या विश्व हिलिपि में 80 शब्द ह ही न्यूनतम गति होन (11)	वविद्यालय से मैं। प्रति मिनट और व नी चाहिए ।	टंकण में 40 श	ब्द	लागू नहीं होता	(10) 2 वर्ष
2. अंग्रेजी आशु प्रति मिनट व 50% प्रतिनियुवि	तुप्राप्त बोर्ड या विश्व हिलिपि में 80 शब्द र ही न्यूनतम गति होन (11) हत द्वारा और 50% न	विद्यालय से मैं। प्रति मिनट और व नी चाहिए । सीधी भर्ती द्वारा	टंकण में 40 श	ब्द युक्ति: केन्द्रीय स	लागू नहीं होता (12) ारकार या राज्य सरव	(10) 2 वर्ष कार या संघ राज्य क्षेत्रों ऐसे अधिकार
2. अंग्रेजी आशु प्रति मिनट व 50% प्रतिनियुवि	तुप्राप्त बोर्ड या विश्व हिलिपि में 80 शब्द ह ही न्यूनतम गति होन (11)	विद्यालय से मैं। प्रति मिनट और व नी चाहिए । सीधी भर्ती द्वारा	टंकण में 40 श प्रति नि , जो मूल	ब्द युक्ति : केन्द्रीय स 1 काडर या विभागों	लागू नहीं होता (12) रिकार या राज्य सरक में 2400 रु. के श्रेणी	(10) 2 वर्ष
2. अंग्रेजी आशु प्रति मिनट व 50% प्रतिनियुवि	तुप्राप्त बोर्ड या विश्व हिलिपि में 80 शब्द र ही न्यूनतम गति होन (11) हत द्वारा और 50% न	विद्यालय से मैं। प्रति मिनट और व नी चाहिए । सीधी भर्ती द्वारा	टंकण में 40 श प्रतिनि . जो मूल के वेत	ब्द युक्ति : केन्द्रीय स । काडर या विभागों नमान में नियमित	लागू नहीं होता (12) रिकार या राज्य सरक में 2400 रु. के श्रेणी आधार पर सदृश पद	(10) 2 वर्ष कार या संघ राज्य क्षेत्रों ऐसे अधिका वेतन वाले बैंड-I, 5200-20,200 र धारण किए हुए हैं।
2. अंग्रेजी आशु प्रति मिनट व 50% प्रतिनियुवि	तुप्राप्त बोर्ड या विश्व हिलिपि में 80 शब्द र ही न्यूनतम गति होन (11) हत द्वारा और 50% न	विद्यालय से मैं। प्रति मिनट और व नी चाहिए । सीधी भर्ती द्वारा	ट्रकण में 40 श प्रतिनि जो मूल के वेत टिप्पण	ब् युक्ति : केन्द्रीय स् । काडर या विभागों नमान में नियमित ा : प्रतिनियुक्ति की	लागू नहीं होता (12) गरकार या राज्य सरक में 2400 रु. के श्रेणी आधार पर सदृश पद ो अवधि, जिसके अं	(10) 2 वर्ष केतन वाले बैंड-I, 5200-20,200 स धारण किए हुए हैं। तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किस्
2. अंग्रेजी आशु प्रति मिनट व 50% प्रतिनियुवि	तुप्राप्त बोर्ड या विश्व हिलिपि में 80 शब्द र ही न्यूनतम गति होन (11) हत द्वारा और 50% न	विद्यालय से मैं। प्रति मिनट और व नी चाहिए । सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनि जो मूल के वेत टिप्पण अन्य र पद पर	ब्द् अविक्तः केन्द्रीय स् अविकार या विभागों नमान में नियमित ताः प्रतिनियुक्ति के संगठन या विभाग मे प्रतिनियुक्ति की	(12) गरकार या राज्य सरक्षेणी आधार पर सदृश पद ो अवधि, जिसके अं इस नियुक्ति से ठीक अवधि भी है पांच व	(10) 2 वर्ष 2 वर्ष वेतन वाले बैंड-I, 5200-20,200 र धारण किए हुए हैं। तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किस् पहले धारित किसी अन्य काडर बाह् र्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुवि
2. अंग्रेजी आशु प्रति मिनट व 50% प्रतिनियुवि	तुप्राप्त बोर्ड या विश्व हिलिपि में 80 शब्द र ही न्यूनतम गति होन (11) हत द्वारा और 50% न	विद्यालय से मैं। प्रति मिनट और व नी चाहिए । सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनि जो मूल के वेत टिप्पण अन्य र पद पर	ब्द् अविक्तः केन्द्रीय स् अविकार या विभागों नमान में नियमित ताः प्रतिनियुक्ति के संगठन या विभाग मे प्रतिनियुक्ति की	लागू नहीं होता (12) रिकार या राज्य सरव में 2400 रु. के श्रेणी आधार पर सदृश पद ो अविध, जिसके अं इस नियुक्ति से ठीक	(10) 2 वर्ष 2 वर्ष वेतन वाले बैंड-I, 5200-20,200 र धारण किए हुए हैं। तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किस् पहले धारित किसी अन्य काडर बाह् र्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुवि
2. अंग्रेजी आशु प्रति मिनट व 50% प्रतिनियुवि	तुप्राप्त बोर्ड या विश्व हिलिपि में 80 शब्द र ही न्यूनतम गति होन (11) हत द्वारा और 50% न	विद्यालय से मैं। प्रति मिनट और व नी चाहिए । सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनि जो मूल के वेत टिप्पण अन्य र पद पर	ब्द् अविक्तः केन्द्रीय स् अविकार या विभागों नमान में नियमित ताः प्रतिनियुक्ति के संगठन या विभाग मे प्रतिनियुक्ति की	(12) गरकार या राज्य सरक्षेणी आधार पर सदृश पद ो अवधि, जिसके अं इस नियुक्ति से ठीक अवधि भी है पांच व	(10) 2 वर्ष वेतन वाले बैंड-1, 5200-20,200 स् धारण किए हुए हैं। तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किस् 5 पहले धारित किसी अन्य काडर बाह् र्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुकि
2. अंग्रेजी आशु प्रति मिनट व 50% प्रतिनियुवि जिसके न हो सर	त्प्राप्त बोर्ड या विश्व हिलिप में 80 शब्द उ ही न्यूनतम गति होन (11) हत द्वारा और 50% व कने पर प्रतिनियुक्ति	विद्यालय से मैं। प्रति मिनट और व नी चाहिए । सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनि जो मूल के वेत टिप्पण अन्य र पद पर	ब्युक्ति : केन्द्रीय स् । काडर या विभागों नमान में नियमित ग : प्रतिनियुक्ति कं संगठन या विभाग मे : प्रतिनियुक्ति की संयुक्ति के लिए अ	(12) गरकार या राज्य सरक्षेणी आधार पर सदृश पद ो अवधि, जिसके अं इस नियुक्ति से ठीक अवधि भी है पांच व धिकतम आयु सीमा	(10) 2 वर्ष वेतन वाले बैंड-I, 5200-20,200 स् धारण किए हुए हैं। तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किस् पहले धारित किसी अन्य काडर बाह् र्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुकि 56 वर्ष होगी।
2. अंग्रेजी आशु प्रति मिनट व 50% प्रतिनियुवि जिसके न हो सर्	त्प्राप्त बोर्ड या विश्व हिलिप में 80 शब्द प्र ही न्यूनतम गति होन (11) स्त द्वारा और 50% व कने पर प्रतिनियुक्ति	विवद्यालय से मैं। प्रति मिनट और त नी चाहिए । सीधी भर्ती द्वारा न द्वारा ।	प्रतिनि जो मूल के वेत टिप्पण अन्य र पद पर द्वारा नि	ब्द् अविक्तः केन्द्रीय स् अविकार या विभागों नमान में नियमित ताः प्रतिनियुक्ति के संगठन या विभाग मे प्रतिनियुक्ति की	(12) गरकार या राज्य सरक्षेणी आधार पर सदृश पद ो अवधि, जिसके अं इस नियुक्ति से ठीक अवधि भी है पांच व धिकतम आयु सीमा	(10) 2 वर्ष वेतन वाले बैंड-I, 5200-20,200 स् धारण किए हुए हैं। तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किस् पहले धारित किसी अन्य काडर बाह् र्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुकि
2. अंग्रेजी आशु प्रति मिनट व 50% प्रतिनियुवि जिसके न हो सर्	त्प्राप्त बोर्ड या विश्व हिलिप में 80 शब्द उ ही न्यूनतम गति होन (11) हत द्वारा और 50% व कने पर प्रतिनियुक्ति	विवद्यालय से मैं। प्रति मिनट और त नी चाहिए । सीधी भर्ती द्वारा न द्वारा ।	प्रतिनि जो मूल के वेत टिप्पण अन्य र पद पर द्वारा नि	ब्युक्ति : केन्द्रीय स् । काडर या विभागों नमान में नियमित ग : प्रतिनियुक्ति कं संगठन या विभाग मे : प्रतिनियुक्ति की संयुक्ति के लिए अ	(12) गरकार या राज्य सरक्षेणी आधार पर सदृश पद ो अवधि, जिसके अं इस नियुक्ति से ठीक अवधि भी है पांच व धिकतम आयु सीमा	(10) 2 वर्ष वेतन वाले बैंड-I, 5200-20,200 स् धारण किए हुए हैं। तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किस् पहले धारित किसी अन्य काडर बाह् र्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुकि 56 वर्ष होगी।



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4*(2009)	साधारण	वेतन बैंड-1	लागू नहीं होत		18 से 25 वर्ष
सहायक	*(कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा,				(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-सम
(वन्यजीव		समूह 'ग',	20,000 रु.			पर जारी किए गए अनुदेशों य
परिरक्षण)		अराजिपत्रत,	श्रेणी वेतन			आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक
	जा सकता है)।	अनुसचिवीय	2800 ম.			के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दश
•						में शिथिल करके 40 वर्ष तक औ
						अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचि
						जनजातियों के अभ्यर्थियों की दश
						में शिथिल करके 45 वर्ष तक क
	•					जा सकती है।)
						टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित कर
						के लिए निर्णायक तारीख भारत म
					* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने व
						लिए नियत की गई अंतिम तारीख
						होगी । (न कि वह अंतिम तारीख
						जो असम, मेघालय, अरुणाचल
						प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड
						त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य
•	**					के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश व
		•				लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्ब
						जिले के पांगी उपखंड, अंदमान औ
						निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थिय
						के लिए विहित की गई है।)
						· ·
(8)					(9)	(10)
	विज्ञान में डिग्री जिस	नें प्राणी विज्ञान ह	हो।		(9) लागू नहीं होता	(10) 2 वर्ष
आवश्यक : वांछनीय :		ों प्राणी विज्ञान ह	हो।			
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि	् ज्ञान में मास्टर डिग्री।		•			
आवश्यक ः वांछनीय ः (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज	ज्ञान में मास्टर डिग्री। वि जन्तु और वनस्पति	। के संग्रहण औ	• र अभिज्ञान में ः			
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह	ज्ञान में मास्टर डिग्री। वि जन्तु और वनस्पति तिाएं अन्यथा सुअर्हित	ा के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की	• र अभिज्ञान में ः			
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह	ज्ञान में मास्टर डिग्री। वि जन्तु और वनस्पति	ा के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की	• र अभिज्ञान में ः			
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह	ज्ञान में मास्टर डिग्री। वि जन्तु और वनस्पति तिाएं अन्यथा सुअर्हित	ा के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की	• र अभिज्ञान में ः			
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह आयोग के वि	ज्ञान में मास्टर डिग्री। वि जन्तु और वनस्पति तिाएं अन्यथा सुअर्हित	ा के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की	र अभिज्ञान में दशा में कर्मच	ारी चयन	लागू नहीं होता	2 वर्ष
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य जं टिप्पण : अह् आयोग के वि (11)	ज्ञान में मास्टर डिग्री। वि जन्तु और वनस्पति ताएं अन्यथा सुअर्हित वैकानुसार शिथिल की	ा के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की जा सकती हैं।	र अभिज्ञान में दशा में कर्मचा (12	री चयन	लागू नहीं होता	2 वर्ष (14)
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह् आयोग के वि (11)	ज्ञान में मास्टर डिग्री। व जन्तु और वनस्पति ताएं अन्यथा सुअर्हित वैकानुसार शिथिल की भर्ती (कर्मचारी चयन	ा के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की जा सकती हैं।	र अभिज्ञान में दशा में कर्मच	री चयन	लागू नहीं होता	2 वर्ष
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह् आयोग के वि (11)	ज्ञान में मास्टर डिग्री। व जन्तु और वनस्पति ताएं अन्यथा सुअर्हित वैकानुसार शिथिल की भर्ती (कर्मचारी चयन	ा के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की जा सकती हैं।	र अभिज्ञान में दशा में कर्मचा (12	री चयन	लागू नहीं होता	2 वर्ष (14)
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य जं टिप्पण : अह् आयोग के वि (11) 100% सीधी के माध्यम से	ज्ञान में मास्टर डिग्री। वि जन्तु और वनस्पति ताएं अन्यथा सुअर्हित वैकानुसार शिथिल की भर्ती (कर्मचारी चयन	ा के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की जा सकती हैं। आयोग	र अभिज्ञान में दशा में कर्मच दशा में कर्मच (12 लागू नही	री चयन) होता	लागू नहीं होता (13) लागू नहीं होता	2 वर्ष (14) लागू नहीं होता ।
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह आयोग के वि (11) 100% सीधी के माध्यम से	ज्ञान में मास्टर डिग्री। वि जन्तु और वनस्पिति तिए अन्यथा सुअर्हित वैकानुसार शिथिल की भर्ती (कर्मचारी चयन)	ा के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की जा सकती हैं। आयोग	र अभिज्ञान में दशा में कर्मचा (12 लागू नही	(5)	लागू नहीं होता (13) लागू नहीं होता (6)	2 वर्ष (14) लागू नहीं होता । (7)
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह आयोग के वि (11) 100% सीधी के माध्यम से	ज्ञान में मास्टर डिग्री। व जन्तु और वनस्पित त्वाएं अन्यथा सुअर्हित वैकानुसार शिथिल की भर्ती (कर्मचारी चयन) (2) 4*(2009)	त के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की जा सकती हैं। आयोग (3) साधारण	र अभिज्ञान में दशा में कर्मचा (12 लागू नहीं (4) वेतन बैंड-1	री चयन) होता	लागू नहीं होता (13) लागू नहीं होता (6)	2 वर्ष (14) लागू नहीं होता। (7) 25 वर्ष
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह आयोग के वि (11) 100% सीधी के माध्यम से	ज्ञान में मास्टर डिग्री। वि जन्तु और वनस्पति तिएं अन्यथा सुअर्हित वैकानुसार शिथिल की भर्ती (कर्मचारी चयन) (2) 4*(2009) 3(2009)	ा के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की जा सकती हैं। आयोग (3) साधारण केन्द्रीय सेवा,	र अभिज्ञान में दशा में कर्मचा (12 लागू नहीं (4) वेतन बैंड-I 5200-	(5)	लागू नहीं होता (13) लागू नहीं होता (6)	2 वर्ष (14) लागू नहीं होता । (7) 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह आयोग के वि (11) 100% सीधी के माध्यम से	ज्ञान में मास्टर डिग्री। वि जन्तु और वनस्पति तिएं अन्यथा सुअर्हित वैकानुसार शिथिल की भर्ती (कर्मचारी चयन) (2) 4*(2009) 3(2009) *(कार्यभार के	ा के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की जा सकती हैं। आयोग (3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग',	र अभिज्ञान में दिशा में कर्मचा (12 लागू नहीं (4) वेतन बैंड-I 5200- 20,200 रु.	(5)	लागू नहीं होता (13) लागू नहीं होता (6)	2 वर्ष (14) लागू नहीं होता। (7) 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों य
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह आयोग के वि (11) 100% सीधी के माध्यम से	ज्ञान में मास्टर डिग्री। वि जन्तु और वनस्पिति तिए अन्यथा सुअर्हित वैकानुसार शिथिल की भर्ती (कर्मचारी चयन) (2) 4*(2009) 3(2009) *(कार्यभार के आधार पर	त के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की जा सकती हैं। आयोग (3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपित्रत,	र अभिज्ञान में दशा में कर्मचा (12 लागू नही (4) वेतन बैंड-I 5200- 20,200 रु. श्रेणी वेतन	(5)	लागू नहीं होता (13) लागू नहीं होता (6)	2 वर्ष (14) लागू नहीं होता । (7) 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों य आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह आयोग के वि (11) 100% सीधी के माध्यम से	ज्ञान में मास्टर डिग्री। व जन्तु और वनस्पित् तिए अन्यथा सुअहित वैकानुसार शिथिल की भर्ती (कर्मचारी चयन) (2) 4*(2009) 3(2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	ा के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की जा सकती हैं। आयोग (3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग',	र अभिज्ञान में दिशा में कर्मचा (12 लागू नहीं (4) वेतन बैंड-I 5200- 20,200 रु.	(5)	लागू नहीं होता (13) लागू नहीं होता (6)	2 वर्ष (14) लागू नहीं होता। (7) 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों य आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दश
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह आयोग के वि (11) 100% सीधी के माध्यम से	ज्ञान में मास्टर डिग्री। वि जन्तु और वनस्पिति तिए अन्यथा सुअर्हित वैकानुसार शिथिल की भर्ती (कर्मचारी चयन) (2) 4*(2009) 3(2009) *(कार्यभार के आधार पर	त के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की जा सकती हैं। आयोग (3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपित्रत,	र अभिज्ञान में दशा में कर्मचा (12 लागू नही (4) वेतन बैंड-I 5200- 20,200 रु. श्रेणी वेतन	(5)	लागू नहीं होता (13) लागू नहीं होता (6)	2 वर्ष (14) लागू नहीं होता। (7) 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों य आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, साधारण अध्यर्थियों की दश में शिथिल करके 40 वर्ष तक और
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह आयोग के वि (11) 100% सीधी के माध्यम से	ज्ञान में मास्टर डिग्री। व जन्तु और वनस्पित् तिए अन्यथा सुअहित वैकानुसार शिथिल की भर्ती (कर्मचारी चयन) (2) 4*(2009) 3(2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	त के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की जा सकती हैं। आयोग (3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपित्रत,	र अभिज्ञान में दशा में कर्मचा (12 लागू नही (4) वेतन बैंड-I 5200- 20,200 रु. श्रेणी वेतन	(5)	लागू नहीं होता (13) लागू नहीं होता (6)	2 वर्ष (14) लागू नहीं होता। (7) 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों य आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, साधारण अध्यर्थियों की दश में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य र्ज टिप्पण : अह आयोग के वि (11) 100% सीधी के माध्यम से	ज्ञान में मास्टर डिग्री। व जन्तु और वनस्पित् तिए अन्यथा सुअहित वैकानुसार शिथिल की भर्ती (कर्मचारी चयन) (2) 4*(2009) 3(2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	त के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की जा सकती हैं। आयोग (3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपित्रत,	र अभिज्ञान में दशा में कर्मचा (12 लागू नही (4) वेतन बैंड-I 5200- 20,200 रु. श्रेणी वेतन	(5)	लागू नहीं होता (13) लागू नहीं होता (6)	2 वर्ष (14) लागू नहीं होता । (7) 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों य आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दश में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दश
आवश्यक : वांछनीय : (i) प्राणी वि (ii) वन्य जं टिप्पण : अह् आयोग के वि (11) 100% सीधी के माध्यम से	ज्ञान में मास्टर डिग्री। व जन्तु और वनस्पित् तिए अन्यथा सुअहित वैकानुसार शिथिल की भर्ती (कर्मचारी चयन) (2) 4*(2009) 3(2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	त के संग्रहण औ अभ्यर्थियों की जा सकती हैं। आयोग (3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपित्रत,	र अभिज्ञान में दशा में कर्मचा (12 लागू नही (4) वेतन बैंड-I 5200- 20,200 रु. श्रेणी वेतन	(5)	लागू नहीं होता (13) लागू नहीं होता (6)	2 वर्ष (14) लागू नहीं होता। (7) 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों य आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, साधारण अध्यर्थियों की दश में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित

(7)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अध्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अध्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

मालती रावत, अवर सचिव

(8)		(9)	(10)
आवश्यक : मोटरकार की विधिमान्य मोटर यांत्रिकी का ज्ञान और कम से व		लागू नहीं होता	2 वर्ष
वलाने का अनुभव। बांछनीय : राजकीय मान्यताप्राप्त विद्	प्रालय से मिडिल स्तर उत्तीर्ण।		•
(11)	(12)	(.13)	(14)
सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।
	फा. सं. 8-3/2	008-एफ.ई. {वन्यजीव अपराध ि	

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 20th April, 2009

- G.S.R. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the notification Numbers GSR 844, dated the 26th June,1975, GSR 801, dated the 21st June,1984, and GSR 415, dated the 4th May,1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group. 'C' posts in the Wildlife Crime Control Bureau, under the Ministry of Environment & Forests, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Wildlife Crime Control Bureau, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

(339

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time in this regard

regard.			SCHEDULE		
Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Constable	*Subject to	•	PB-1 Rs. 5200- 20,200 Grade Pay Rs. 2,000	Not applicable	Not applicable
	in India depen on operationa	iding			
Age limit for	direct recruitme	ents Educational and or required for direct		q	Whether age and educational ualifications prescribed for lirect recruitment will apply in the case of promotees
(7)		(8)			(9)
Not applicabl	le	Not applicable		Ŋ	Not applicable
Period of pro	bation, if any	Method of recruitment, by direct recruitment or tion or by deputation or and percentage of the percent	by promo- r absorption posts to	deputation or absor which promotion of tion to be made	ent by promotion or rption, grades from or deputation or absorp-
(10)		(11)			12)
Nil	1	By deputation with 17 I Police Personnel of Cer or Union Territory Polic Railway Protection Ford Bureau of Investigation Control Bureau (ii) 8 Posts from Forest/ Personnel of State/Union	ntral or State ce Forces, ce, Central n, Narcotics	or Union Territorie I. Holding analogo in the Central/State Departments, Polic tion Force, Central Narcotics Control II. Matriculate fro University or equi- including period or cadre post held im appointment in t	ous posts on regular basis L'Union Territory, Wildlife de Forces, Railway Protec- Bureau of Investigation,

deputation shall be 53 years.

If a Departme what is its co	ental Promotion Commomposition	nittee exists		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment		
(13)			:	(14)		
Not Applicab	ole			Not App	plicable	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2. Upper Division Clerk	8* (2009) *Subject to variation depending upon the workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	PB-1 Rs. 5200- 20,200 Grade Pay Rs. 2400	Non Selection	Not applicable	
(7)		(0)				
(7) Not applicabl	le	(8) Not applicable			(9) Not applicable	
(10)		(4.5)				
(10) 2 Years		(11)			(12)	
		6 by promotion faili		Clerk of the Burservice in the graph the Central or State Territories:— (i) holding analy the parent Cadro (ii) Lower Divis 8 years of regular with Grade pays the parent cadro The Department category who are shall not be elignappointment on deputationsts should be consideration for Period of deputations.	om amongst the Lower Division eau with five years of regular rade. Deputation: Officers of tate Government or Union ogous posts on regular basis in e/Department; or sion Clerks or its equivalent with a services in PB-I -5200-20200 of Rs. 1900 or equivalant in or Department. tal Officers in the feeder re in the direct line of promotion ible for consideration for deputation. Similarly, hall not be eligible for or appointment by promoition. ation including period of nother ex-cadre post held	
	(13)			immediately presame or some of department of the exceed five year	eceding this appointment in the ther organization or the Central Government shall not so. The maximum age limit for deputation shall be 56 years.	
(1) Head of			—Chairmar	1	Not Applicable	
(2) An Assis Control	stant Director of the W	•	—Member			

भारत का राजपत्र : अप्रैल 25, 2009/वैशाख 5, 1931

[भाग II—खण्ड 3(i)]

175

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3 Lower Division Clerk	8* (2009) *Subject to variation depending upon the workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Ministerial.	PB-1 Rs. 5,200- 20,200 Grade Pay Rs. 1900	Not applicable	Not applicable
	(7)	(8))		(9)

18 to 25 years (Relaxable for Govt. Servants upto the age of 40 years in case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1-The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in . Assam, Meghalya, Arunachal Pradesh Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territories of Andaman and Nicobar island or the Union Territory of Lakshadweep).

Essential: (1) Matriculation or equivalent from a recognized Board or University. (2) Minimum speed of 30 words per minute in typewriting provided:(a) that a person not possessing the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that he shall not be eligible for drawing increments in the pay scale for quasi permanency or for confirmation in the grade till he acquires a speed of 30 words per minute in typewriting. (b) that a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerial post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed, subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for handicapped or where there is no such Board the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to able to type.

Not applicable

(10)

 (Π)

D 44 000

2 Years

50% by Deputation and 50% by Direct Recruitment failing which by Deputation.

Deputation: -- Officers of the Central or State Government or Union Territories holding analogous posts on regular basis with five years of regular service in the scale of pay of PB-I Rs. 5,200-20,200 with Grade Pay of Rs. 1,900 or equivalent in the parent cadre or Department. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be 56 years. Direct Recruitment: 90% of vacancies will be filled by direct recruitment and 10% vacancies shall be filled by selection from amongst the Class-IV employees working in the said office who are matriculates or possess equivalent qualification and have rendered 5 years service in Class-IV, through a departmental. examination, the maximum age limit for eligibility for the examination being 45 years (50 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribe Employees), Provided that the maximum number of persons to be recruited by this method shall be limited to 10% of vacancies occurring in a year and unfilled vacancies shall not be carried over to the next year.

(12)

		(13)			(14)	
(l) Hea	d of Office		—Chair	man	Not Applicable	
	Assistant Director of the trol Bureau	ne Wildlife Crime	Mem	ber		
	(3) Concerned Under Secretary from the Ministry of Environment & Forests		Member			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
4 Stenog pher Grade-	*Subject to	General Central Service, Group ing 'C', Non-Gazette ad. Ministerial.	PB-1 Rs. 5200- ed, 20,200 Grade Pay Rs. 2,400	Not applicable	Not applicable	
	<u></u>		(8)		(9)	
	(7) years (Relaxable for ((1)		or its equivalent	Not applicable	
belongin or Sched the instru Central C Note 1—the age li receipt o India (an for those Pradesh, Sikkim, Kashmir Pangi St Himacha of the A	in the case of canding to the Scheduled uled Tribes in accordanctions or orders issue Government from time to The crucial date for definit shall be the closing fapplications from candinot the closing date in Assam, Meghalaya Mizoram, Manipur, Ladakh Division of Jostate, Lahaul and Spiti ab-Division of Chambal Pradesh, the Union Indaman and Nicobar Perritory of Lakshadweet	Castes shounce with in ed by the otime). Stermining g date for indidates in prescribed, Arunachal Nagaland, ammu and District and a District of Territories [sland or the in the case of t		inute in English words per minute		
(10)	(11)			(12)	
2 Ye	ars 5	50% by Deputation are by Direct Recruitment which by Deputation.	failing	Government or analogous posts pay of PB-1 Rs. Rs. 24,00 or eq Department. Poperiod of deput held immediated the same or somment of the Centive years. The	Officers of the Central or State Union Territories holding son regular basis in the scale of 5,200-20,200 with Grade Pay or univalent in the parent cadre or eriod of deputation including action in another ex-cadre postly preceding this appointment in the other organization or departeral Government shall not exceed maximum age limit for appoint tion shall be 56 years.	
:	(13)				(14)	
. ,	ead of Office		—Chai	irman	Not Applicable	
C	n Assistant Director of ontrol Bureau oncerned Under Secre	•	—Men	nber		
E	nvironment & Forests	•	Men	nber		

177

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	× / .	(-)	(1)	(3)	(6)
5. Technical	4* (Four) (2009)	General Central	PB-I Rs. 5200-	Not applicable	Not applicabl
Assistant	*Subject to	Service Group	20,200 with	• •	
(Wildlife	variation depending	~	Grade Pay of		
Preserv-	upon the workload	Non-Ministerial	Rs. 2800		
ation)					
		•			
(7)		(8)			(9)
	(Relaxable for Govt		e in Science with Z	oology. No	ot applicable
-	the age of 40 years in		7 1		•
	candidates and up to case of candidates	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
-	e Scheduled Castes		collection and iden	illication of	
	es in accordance with		ra. ons are relaxable at	the discretion	
	or orders issued by		Commission in cas		
	ment from time to tim			o or ourser	
	cial date for determin				
ne age-limit sh	all be the closing dat	e			
or receipt of ap	plications from cand	i-			•
	(and not the closing				
•	f for those in Assa	m,			
	runachal Pradesh,				
fizoram Manii	pur, Nagaland, Sikkir	n,			
		•			
adakh Division	n of Jammu and Kash				
adakh Divisio tate, Lahaul an	d Spiti District and Pa	angi			
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division o	d Spiti District and Pa of Chamba District	angi of			
adakh Division tate, Lahaul an sub-Division of Iimachal Prade	d Spiti District and Pa of Chamba District sh, the Union Territo	angi of ries			
adakh Division tate, Lahaul an tub-Division of Iimachal Prade f the Andaman	d Spiti District and Pa of Chamba District	angi of ries or			
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division of Iimachal Prade f the Andaman	d Spiti District and Pa of Chamba District sh, the Union Territo a and Nicobar Island	angi of ries or			
adakh Division tate, Lahaul an tub-Division of Iimachal Prade f the Andaman	d Spiti District and Pa of Chamba District sh, the Union Territo a and Nicobar Island	angi of ries or		(12)	
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division of Iimachal Prade f the Andaman ne Union Territ	d Spiti District and Pa of Chamba District esh, the Union Territo a and Nicobar Island tory of Lakshadweep	angi of ries or).	hrough N	(12) Not applicable	
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division climachal Prade f the Andaman ae Union Territ (10)	d Spiti District and Pa of Chamba District esh, the Union Territo a and Nicobar Island tory of Lakshadweep	angi of ries or).	hrough N		
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division of limachal Prade f the Andaman te Union Territ (10)	d Spiti District and Pa of Chamba District esh, the Union Territo a and Nicobar Island tory of Lakshadweep	angi of ries or). (11) by Direct Recruitment (t			
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division of limachal Prade f the Andaman te Union Territ (10) years (13)	d Spiti District and Pa of Chamba District esh, the Union Territo a and Nicobar Island tory of Lakshadweep	angi of ries or). (11) by Direct Recruitment (t	(14)	Not applicable	
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division of limachal Prade f the Andaman te Union Territ (10)	d Spiti District and Pa of Chamba District esh, the Union Territo a and Nicobar Island tory of Lakshadweep	angi of ries or). (11) by Direct Recruitment (t		Not applicable	
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division of limachal Prade of the Andaman te Union Territ (10) years (13)	d Spiti District and Pa of Chamba District esh, the Union Territo a and Nicobar Island tory of Lakshadweep	angi of ries or). (11) by Direct Recruitment (t	(14)	Not applicable	
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division of dimachal Prade of the Andaman ne Union Territa (10) years (13) (13) (14)	d Spiti District and Part of Chamba District esh, the Union Territo and Nicobar Island tory of Lakshadweep 100% Staff S	angi of ries or). (11) by Direct Recruitment (t Selection Commission)	(14)	Not applicable	. (6)
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division of timachal Prade f the Andaman te Union Territ (10) years (13) tot applicable	d Spiti District and Part of Chamba District esh, the Union Territo and Nicobar Island tory of Lakshadweep 100% Staff S (2)	angi of ries or). (11) by Direct Recruitment (t	(14) Not appli	Not applicable	. (6) Not applicable
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division of dimachal Prade of the Andaman ne Union Territa (10) years (13) (13)	d Spiti District and Part of Chamba District esh, the Union Territon and Nicobar Island tory of Lakshadweep 100% Staff S (2) 4*(2009) *3(2009)	angi of ries or). (11) by Direct Recruitment (t Selection Commission) (3) General Central Service, Group	(14) Not appli (4) PB-I Rs. 5200—	Not applicable cable	
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division of limachal Prade of the Andaman ne Union Territa (10) years (13) fot applicable	d Spiti District and Part of Chamba District with the Union Territo and Nicobar Island tory of Lakshadweep 100% Staff S (2) 4*(2009) *3(2009) *Subject to	(3) General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted,	(14) Not appli (4) PB-I Rs. 5200— 20,200 with	Not applicable cable	
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division of timachal Prade f the Andaman te Union Territ (10) years (13) tot applicable	d Spiti District and Pa of Chamba District esh, the Union Territo and Nicobar Island tory of Lakshadweep 100% Staff S (2) 4*(2009) *3(2009) *Subject to variation in	angi of ries or). (11) by Direct Recruitment (t Selection Commission) (3) General Central Service, Group	(4) PB-I Rs. 5200— 20,200 with Grade Pay of	Not applicable cable	
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division o imachal Prade f the Andaman te Union Territ (10) years (13) ot applicable	d Spiti District and Part of Chamba District with the Union Territo and Nicobar Island tory of Lakshadweep 100% Staff S (2) 4*(2009) *3(2009) *Subject to	(3) General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted,	(14) Not appli (4) PB-I Rs. 5200— 20,200 with	Not applicable cable	
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division timachal Prade f the Andaman te Union Territ (10) years (13) ot applicable (1) Driver	d Spiti District and Pa of Chamba District esh, the Union Territo and Nicobar Island tory of Lakshadweep 100% Staff S (2) 4*(2009) *3(2009) *Subject to variation in	(3) General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	(4) PB-I Rs. 5200— 20,200 with Grade Pay of	Not applicable cable	Not applicable
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division of limachal Prade of the Andaman ne Union Territa (10) years (13) fot applicable (1) Driver	d Spiti District and Part of Chamba District with the Union Territo and Nicobar Island tory of Lakshadweep 100% Staff S (2) 4*(2009) *3(2009) *Subject to variation in workload.	(3) General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	(4) PB-I Rs. 5200— 20,200 with Grade Pay of Rs. 1900	cable (5) Not applicable	Not applicable
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division of limachal Prade of the Andaman ne Union Territa (10) years (13) fot applicable (1) Driver (7) 5 years (Relaxa)	d Spiti District and Pa of Chamba District sh, the Union Territo and Nicobar Island tory of Lakshadweep 100% Staff S (2) 4*(2009) *3(2009) *Subject to variation in workload. hable for Govt. Servan	(3) General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (8) tts Essential: Possess	(14) Not appli (4) PB-I Rs. 5200— 20,200 with Grade Pay of Rs. 1900 sion of a valid lice	cable (5) Not applicable	Not applicable
adakh Division tate, Lahaul an ub-Division of limachal Prade of the Andaman ne Union Territa (10) years (13) (13) fot applicable (1) Driver (7) 5 years (Relaxa to to the age of 4)	d Spiti District and Part of Chamba District with the Union Territo and Nicobar Island tory of Lakshadweep 100% Staff S (2) 4*(2009) *3(2009) *Subject to variation in workload.	(3) General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (8) tts Essential: Posseseral Motor Cars, know	(4) PB-I Rs. 5200— 20,200 with Grade Pay of Rs. 1900 sion of a valid liceledge of Motor Me	cable (5) Not applicable nce for No schanism	Not applicable

(9)

(8)

(7)
Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by

the the Central Government from time to time).

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba Districtof Himachal Pradesh, the Union Territories of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep).

Desirable: Middle Pass from Government recognized school.

(10)	(11)	(12)	
2 years	By direct recruitment	Not applicable	
(13)		(14)	t .
Not applicable		Not applicable	

[F. No. 8-3/2008-FE {Wildlife Crime Control Bureau (Group 'C' Post)}]
MALTI RAWAT, Under Secy.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 52.—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. शिक्षुता नियम, 1992 की अनुसूची 1 में विशिष्टता व्यवसाय समूह केन्द्र से संबंधित समूह संख्या 35 में क्रम संख्या 18 के सामने स्तंभ संख्या 6 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
 - ''विशिष्टता स्कीम केन्द्र के अधीन वैद्युत सैक्टर में और वैद्युत मशीन और ऊर्जा आपूर्ति की मरम्मत और अनुरक्षण में विशिष्टता केन्द्र के उन्नत मोडयूल में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण''

[फा. सं. डीजीईटी-23(5)/(3005)/2006-एपी]

तरसेम लाल, उप-सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 356, तारीख 1 अगस्त, 1992 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन सा. का. नि. सं. 594(अ), तारीख 14 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया ।



MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment and Training)

New Delhi, the 20th April, 2009

- G.S.R. 52.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:—
 - 1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Apprenticeship Rules 1992, in Schedule 1, in Group No. 35 relating to Centre of Excellence Trades Group, against serial number 18, for the entries in column 6, the following entries shall be substituted, namely:—
 - "Broad Based Basic Training in Electrical Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence in Repair and Maintenance of Electrical Machines and Power Supply."

[F. No. DGET-23(5)/(3005)/2006-AP]

TARSEM LAL, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 356 dated the 1st August, 1992 and last amended vide number G.S.R. 594(E) dated 14th August, 2008.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 53.—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. शिक्षुता नियम, 1992 की अनुसूची 1 में, समूह संख्यांक 19, के अधीन,---
 - (i) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 8 में ''10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं उत्तीर्ण या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण'' प्रविष्टि के स्थान पर ''8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समतुल्य'' प्रविष्टि रखी जाएगी:
 - (ii) क्रम संख्यांक 1 से 4 के सामने स्तंभ 6 और स्तंभ 7 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमश: ''2 कटाई और सिलाई'' और ''1 वर्ष'' प्रविष्टियां अंत: स्थापित को जाएंगी;
 - (iii) क्रम संख्यांक 5 के सामने,—
 - (क) स्तंभ 6 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— "3. कटाई और सिलाई";
 - (ख) स्तंभ ७ में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् ''। वर्ष'' प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी ।

[फा. सं. डीजीईटी-2(4)/2007-एपी]

तरसेम लाल, उप-सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, में सा.का.नि. 356 तारीख 1 अगस्त, 1992 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा. का. नि. 594(अ) तारीख 14 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया।

New Delhi, the 20th April, 2009

- G.S.R. 53.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:—
 - 1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Apprenticeship Rules 1992, in Schedule I, under Group number 19,-
 - (i) against serial number 1, in column 8, for the entry "passed 10th class under 10+2 examination system or its equivalent", the entry "passed 8th class examination or its equivalent" shall be substituted;
 - (ii) against serial number 1 to 4, in column 6 and column 7, after the existing entries, the entries "2. Cutting and Sewing" and "1 year" shall respectively be inserted;
 - (iii) against serial number 5,—.
 - (a) in column 6, after the existing entries, the following entry shall be inserted, namely:—
 - "3. Cutting and Sewing";
 - (b) in column 7, after the existing entries, the entry "1 year" shall be inserted.

[F. No. DGET-2(4)/2007-AP]

TARSEM LAL, Dy. Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 356 dated the 1st August, 1992 and was last amended vide number G.S.R. 594(E) dated the 14th August, 2008.